

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
24/07/2025 14:29 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/07/2025 Time (समय): 14:29 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Date and Time (दिनांक और समय): 24/07/2025 14:29 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 10 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सी आई ए जी आर पी, अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जसबीर सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): राम सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	सकराहो, नग्गल अम्बाला, NAGGAL, AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	सकराहो, नग्गल अम्बाला, NAGGAL, AMBALA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416662078

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जोगिन्द्र सिंह			1. सी आई ए जी आर पी,अम्बाला,PARAO AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,IN DIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से हैं:-

सेवा में,

माननीय पुलिस महानिदेशक,

श्री शत्रुजीत कपूर आई.पी.एस.

सेक्टर 6, पंचकुला

श्री मान जी,

निवेदन है कि मैं जसबीर सिंह S/O राम सिंह गांव सकराहो थाना नग्गल जिला अम्बाला का रहना वाला हूँ और गांव सकराहो का पूर्व सरपंच हूँ मैंने दिनांक 06.03.2024 को एक दरखास्त इन्चार्ज जोगिन्द्र सिंह जी.आर.पी. सी.आई.ए अम्बाला के विरुद्ध बाबत पैसे लेने बारे दी थी जिसकी मैंने विडियो क्लिप वा आडियो रिकॉडिंग भी उपलब्ध कराई थी और उपरोक्त दरखास्त के सम्बंध में मेरे उपर राजीनामा करने के नाम पर अलग-अलग मोबाईल नम्बरों से दवाब बनाया जा रहा है और मेरे उपर भी जोगिन्द्र सिंह ईन्चार्ज जी.आर.पी. सी.आई.ए अम्बाला ने मुझे धमकाया और राजीनामा के लिये दवाब बनाया जो अभी तक जोगिन्द्र सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। जो उपरोक्त दरखास्त की कार्यवाही ना होने से मुझे जी आर पी अफसरों पर पक्षपात करने का अदंशा है जिसे जांच के नाम पर लगातार डिले किया जा रहा है। जो मेरी दरखास्त की कार्यवाही विजिलेंस विभाग के माध्यम से करवाई जाये जो जोगिन्द्र सिंह ईन्चार्ज मुझको बार-बार किसी झुठे मुकदमा में फसाने व जान से मारने की धमकी दे रहा है व मुझे राजीनामा के लिये दवाब बना रहा है आपसे निवेदन है कि मेरी दरखास्त की जांच विजिलेंस विभाग से करवाई जाये। आपकी अति कृपा होगी।

sd. जसबीर सिंह EX. सरपंच

आवेदक

जसबीर सिंह S/O राम सिंह

आर/ओ गांव सकराहो

थाना नग्गल जिला अम्बाला

मोबाईल- 9416662078

कार्यवाही पुलिस:- शिकायतकर्ता श्री जसबीर सिंह पुत्र. श्री राम सिंह वासी सकराहो थाना नग्गल जिला अम्बाला की एक शिकायत कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 8958/शिकायत/108/अम्बाला/2024 दिनांक 16.04.2024 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के पत्र क्रमांक 782/शिकायत/30/भ्र.नि.ब्यू. (अम्बाला)/2024 दिनांक 30.04.2024 व डायरी नम्बर 1298 दिनांक 23.06.2025 के अनुसार विश्लेषण हेतु मुझे प्राप्त हुई थी। विश्लेषण के दौरान शिकायतकर्ता के प्राप्त कथन व विडियो रिकॉर्डिंग से शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा शिकायत में लगाए गए उपरोक्त आरोप प्रथम दृष्टया से सत्य होने प्रतीत हो रहे हैं। जिसकी विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के क्रमांक 2055/ACB/AMB दिनांक 03.07.2025 के अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पास अभियोग अंकित करने की संस्तुति करके भेजी गई थी, जो आज दिनांक 17.07.2025 को कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के क्रमांक 13713/Comp/108/AMB/2025 दिनांक 15.07.2025 के अनुसार तथा कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के डायरी क्रमांक 1556 दिनांक 17.07.2025 के अनुसार विश्लेषण से अपराधिक मुकदमा दर्ज करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसलिए प्राप्त शिकायत पर तहरीर तैयार करके उत्तरवादी जोगिन्द्र सिंह, तत्कालिन इन्चार्ज GRP, CIA अम्बाला के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सन् 1988 के अनुसार अभियोग अंकित करने हेतु थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दी जा रही है। शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके अनुसंधान हेतु आगामी अनुसंधानकर्ता के पास तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट उचित माध्यम से सम्बन्धित ईलाका मैजिस्ट्रेट के पास भिजवाई जावे।

अज – राज्य चौकसी एवं भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला

Sd अग्नेजी

(औमप्रकाश ह.पु.से.)

उप पुलिस अधीक्षक,

राज्य चौकसी एवं भ्र.नि. ब्यूरो

अम्बाला मण्डल अम्बाला।

दिनांक 24.07.2025

समय 2:00 PM

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा तहरीर औमप्रकाश ह.पु.से. उप पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला। बर खिलाफ उप.नि. जोगिन्द्र सिंह तत्कालीन ईन्चार्ज सी.आई.ए. जी.आर.पी. अम्बाला छावनी बा जूर्म 7 पी.सी एक्ट 1988 का होना पाया जाने पर थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 25 दिनांक 24.07.2025 धाराधीन 7 PC Act 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला की सेवा मे बजरीया ई-मेल व सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक राजेश कुमार निरीक्षक रा0चौ0 एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड हवाले हस्व आदेश अफसरानबाला आगामी अनुसंधान हेतु निजद उप पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mukesh Rank (पद): ACP (Assistant Commissioner of Police)
Jakhar
No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

